प्रेस नोट दिनांक-18.10.2025

थाना कंदवा जनपद चंदौली

🔷 **थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार ले जा रहे 09 राशि गोवंश को बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

चंदौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में बिहार चुनाव के दृष्टिगत अन्तरराज्यीय उ0प्र0-बिहार बार्डर चेकिंग चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष कन्दवा प्रियंका सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-18.10.2025 को थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जमानियां के तरफ से ग्राम सुढ़ना के रास्ते एक पिकअप वाहन में गोवंशो को लादकर वध हेतु बिहार ले जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम सुढ़ना तिराहे पर मेन रोड पर पहुँचकर आने वाले संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग करने लगे कि कुछ समय पश्चात 01 वाहन बहुत ही तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा दूर से रुकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के तरफ गाड़ी लेकर बढ़ा लेकिन पुलिस टीम द्वारा आपनी जान बचाते हुए इधर उधर हट बढ़ गये। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया तो वाहन मै बैठे तीन व्यक्ति उतरकर भागने लगे मौजूद पुलिस टीम की मदद से पीछा किया गया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया अन्य 02 अज्ञात व्यक्ति खेत के रास्ते भाग गये। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिकन्दर कुमार पुत्र मुन्ना राम नि0 ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष के रुप में हुई। उक्त पिकअप वाहन नं0 यू0पी0 50 डी.टी. 5661 को चेक किया गया तो पिकअप में लदे 09 राशी गोवंशों को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0 92/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सिकन्दर कुमार पुत्र मुन्ना राम नि0 ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 92/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109 बीएनएस थाना कन्दवा जिला चन्दौली

2.मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 318(2)/319 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 347/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण-

09 राशि गोवंशीय पशु (03 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा व 05 राशि बैल)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह थाना कंदवा जनपद चंदौली
2.का0 धर्मराज थाना कंदवा जनपद चंदौली
3.का0 सविनय सिंह थाना कंदवा जनपद चंदौली